

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पोतासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
65/2021/प्रा.पत्र/2021

तारीख दायरा
16.07.2021

तारीख निर्णय
01.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री धमेन्द्र कुमार जैन पुत्र विरेन्द्र कुमार जैन एफ.बी.ओ मैसर्स राहूल एजेन्सीज जैन मन्दिर
के सामने सदर बाजार उनियारा जिला टोक राज0 निवासी वार्ड नं0 19 फूलवारी गली
उनियारा जिला टोक राज0
- 2-श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स श्री अंजनी फूड
प्रोडक्ट्स प्लाट नं0 4 केशव विधापीठ के पास जामडोली जयपुर राज0 निवासी 16 राज विहार
आगरा रोड जामडोली जयपुर

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 01.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.04.2021 को समय 5.39 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राहूल एजेन्सीज जैन मन्दिर के सामने सदर बाजार उनियारा जिला टोक राज0 पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री धमेन्द्र कुमार जैन पुत्र विरेन्द्र कुमार जैन एफ.बी.ओ मैसर्स राहूल एजेन्सीज जैन मन्दिर के सामने सदर बाजार उनियारा जिला टोक राज0 निवासी वार्ड नं0 19 फूलवारी गली उनियारा जिला टोक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक मे नमकीन श्री अंजली ब्राण्ड(Namkeen Shree Anjani Brand) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री धमेन्द्र कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता धमेन्द्र कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



1354

13
जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान की रैंक में 9 पॉली पैक 400-400 ग्राम पैक नमकीन श्री अंजली ब्राण्ड(Namkeen Shree Anjani Brand) रखे हुये में से 400-400 ग्राम के 4 नग नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री धमेन्द्र कुमार जैन को रू0 192/-अक्षरे एक सौ बरानवे रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुद्धा नमकीन श्री अंजली ब्राण्ड(Namkeen Shree Anjani Brand) 400-400 ग्राम के चार नग कुल मात्रा 1600 ग्राम को ज्यो का त्यो एक-एक नग बराबर-बराबर खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I-2848 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2848 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता धमेन्द्र कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्य करते समय श्री धमेन्द्र कुमार जैन ने मौके पर नमकीन श्री अंजली ब्राण्ड(Namkeen Shree Anjani Brand) बतोर वारंटी बिल मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लाट नं0 4 केशव विधापीठ के पास जामडोली जयपुर राज0का बिल कमांक/इन्वॉइस नं0 2166 दिनांक 27.03.2021 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/1008 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/608/एक्ट/2021/640 दिनांक 22.04.2021 अनुसार धमेन्द्र कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया नमकीन श्री अंजली ब्राण्ड(Namkeen Shree AnjaniBrand)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।



अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का नमकीन श्री अंजली ब्राण्ड (Namkeen Shree Anjani Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस नमकीन श्री अंजली ब्राण्ड (Namkeen Shree Anjani Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया नमकीन श्री अंजली ब्राण्ड (Namkeen Shree Anjani Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री धमेन्द्र कुमार जैन पुत्र विरेन्द्र कुमार जैन एफ.बी.ओ मैसर्स राहूल एजेन्सीज जैन मन्दिर के सामने सदर बाजार उनियारा जिला टोक राज0 निवासी वार्ड नं0 19 फूलवारी गली उनियारा जिला टोक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लाट नं0 4 केशव विधापीठ के पास जामडोली जयपुर राज0 निवासी 16 राज विहार आगरा रोड जामडोली जयपुर पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(मुरारी लाल शर्मा) 1-10-21
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोक-राज0